

कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ शासन, राजस्व आपदा प्रबंध विभाग
--: अधिसूचना :-

दिनांक 26 दिसम्बर, 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 44/अ-82/17-18 चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित निजी भूमि एन0टी0पी0सी0तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधियिम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन:-

1. जिला-
2. तहसील-
3. नगर/ग्राम-
4. क्षेत्रफल-

रायगढ
तमनार
गोडी
4.531 हे0

खसरा नंबर	रकबा (हे0में)	खसरा नंबर	रकबा (हे0में)	खसरा नंबर	रकबा (हे0में)	खसरा नंबर	रकबा (हे0में)
42/1	0.122	73/2	0.113	256/2	0.235	20/13	0.060
46	0.016	74/2 क	0.069	229/1	0.016	26/7	0.040
38/1घ	0.040	74/2 ख	0.061	259/1	0.040	20/11	0.076
38/1ख	0.051	175/1	0.072	236/1	0.093	74/2/ग	0.208
45/9	0.080	87/3	0.040	47/1	0.001	190/2/ख 191/2	0.001
47/7	0.027	77/2	0.025	236/3	0.061	230/1	0.048
47/8	0.027	173/1	0.142	257/4	0.061	225/1	0.011
47/9	0.026	175/5	0.076	258/1	0.057	228/1	0.089
47/10	0.026	181/3	0.001	511/7	0.058	552/5/ख	0.140
47/11	0.026	171/1	0.097	511/8/ख	0.010	553/1/ख	0.280
47/12	0.027	169/2 170/2	0.020	511/8/क	0.012	553/3/ख	0.080
47/13	0.027	181/6	0.041	511/10	0.004	553/2/ख	0.091
48/1	0.011	180/2	0.064	192/3 193/3	0.020	26/8	0.022
50/7	0.015	175/2	0.016	511/9	0.045	20/5	0.122
50/8	0.073	181/7	0.086	513/3	0.040	227/2	0.024
73/11	0.029	175/3	0.072	557/1	0.059	190/3	0.049
20/4	0.039	226/2	0.139	556/1	0.174	553/3/क	0.060
20/14	0.020	227/1	0.138	552/5/क	0.140	553/2/क	0.050
कुल खसरा नंबर 72				कुल रकबा 4.531 हे0			

5. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
6. उक्त भूमि अर्जन में किसी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ के राज्य के नाम से तथा
आदेशानुसार

(शम्मी आबिदी)

कलेक्टर, रायगढ

एवं पदेन उप सचिव छ0ग0शासन

राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग